



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 51

/ 12-1

देहरादून,

दिनांक

03

जुलाई, 2019.

सेवा में

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद देहरादून के वन प्रभाग देहरादून में (थानों-ऋषिकेश-बड़कोट) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर-रानीपोखरी चौक) 20.9 कि0मी0, रानीपोखरी-नटराज चौक 3.8 कि0मी0 रानीपोखरी चौक-जगंलात चौकी 9.2 कि0मी0 जिसकी कुल लम्बाई 33.9 कि0मी0 एवं 0.205 है0 मोटर मार्ग के किनारे ऑलि फाइबर केबिल बिछाने हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि�0 को भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, एस0 14ए 15ए 16 2nd द्वितीय तल, न्यू गांधी कैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून का पत्रांक-FP/UK/OFC/36847/2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या ऑन लाईन प्रेषित की जा रही है:-

S.No.	Query	Answer
1.	प्रस्तावित परियोजना की राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बायोस्फेर रिजर्व से दूरी से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र दिया गया है जबकि यह प्रमाण-पत्र अधिकृत संस्था द्वारा तैयार मानचित्र के साथ अपलोड किया जाना है। परियोजना के कार्यक्षेत्र की दूरी 10 कि0मी0 से कम होने पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में अपनी आख्या भी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	We have received aerial distance 1.8 km certificate from CF-IT cell and the same has been attached.
2.	प्रस्तावित परियोजना हेतु अपेक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बायोस्फेर रिजर्व आदि का हिस्सा नहीं है, से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र दिया गया है जबकि उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1777/1(2)va.Rra.Vi./2002-19(E)/2002 दिनॉक-28.10.2002 द्वारा थानों-बड़कोट-ऋषिकेश रेंज 'शिवालिक हाथी आरक्षित' क्षेत्र घोषित किया गया है। आप्टीकल फाइबर केबल हेतु चयनित स्थल (शिवालिक वृत्त) हाथी आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है जो कि लो0नि0वि0 को सड़क निर्माण / चौड़ीकरण हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के अधीन है चूंकि आप्टीकल फाइबर केबल भूमिगत बिछायी जानी है जिसका वन्यजीवों पर पड़ने वाला प्रभाव शून्य है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस प्रयोजन हेतु संड़क मरम्मत पर आने वाला व्यय लो0नि0वि0 को जमा कर दिया गया है। इसकी पुष्टी प्रस्वात में दी गई है।	उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1777/1(2)va.Rra.Vi./2002-19(E)/2002 दिनॉक-28.10.2002 द्वारा थानों-बड़कोट-ऋषिकेश रेंज 'शिवालिक हाथी आरक्षित' क्षेत्र घोषित किया गया है। आप्टीकल फाइबर केबल हेतु चयनित स्थल (शिवालिक वृत्त) हाथी आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है जो कि लो0नि0वि0 को सड़क निर्माण / चौड़ीकरण हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के अधीन है चूंकि आप्टीकल फाइबर केबल भूमिगत बिछायी जानी है जिसका वन्यजीवों पर पड़ने वाला प्रभाव शून्य है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस प्रयोजन हेतु संड़क मरम्मत पर आने वाला व्यय लो0नि0वि0 को जमा कर दिया गया है। इसकी पुष्टी प्रस्वात में दी गई है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।